

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खंड-II में प्रकाशनार्थ)

संख्या 13017/23/2010-अ.भा.से.(1)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग


\* \* \*

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : 13 सितम्बर, 2011

### अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा मणिपुर-त्रिपुरा, गुजरात और राजस्थान सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार एतद्वारा श्री राजन विशाल, भारतीय प्रशासनिक सेवा (मणिपुर-त्रिपुरा : 08) और सुश्री अर्चना सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा (गुजरात : 08) को विवाह के आधार पर उनके संबंधित संवर्गों से राजस्थान संवर्ग में स्थानांतरित करती है।



(नरेन्द्र गौतम)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 23093063

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)